HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8829/2026
CNR: RJHC010600872026
URN: CRLMB / 19176U / 2026

Ramesh Singh S/o Shri Amar Singh, Aged About 31 Years, R/o Falna Gaon, P.s. Palna Tehsil, Bali, Dist Pali (Rajsthan) (Lodged In District Jail Pali)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Thorugh Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vijay Raj Bishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

17/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना रानी जिला पाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 58/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 191(2), 333, 115(2), 324(4), 324(5), 109(1), 117(2) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सहअभियुक्तगण प्रिंस, विनयसिंह, अंशुमान सिंह की जमानत दिनांक 15.05.2026 को व शाहिद खान की जमानत दिनांक 13.04.2026 को इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है। प्रार्थी–अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त का मामला सहअभियुक्त से गंभीर नहीं है, जिनकी जमानत पूर्व में हो चुकी है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी–अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। इस मामले में सहअभियुक्तगण प्रिंस, विनयसिंह, अंशुमान सिंह की जमानत दिनांक 15.05.2026 को व शाहिद खान की जमानत दिनांक 13.04.2026 को इस न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **रमेश सिंह पुत्र अमर सिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

66/Mayank Rankawat/629